न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पाकुड़

आर0 एम0 पी0 वाद सं0—20 / 2011—12
(57 / 2002)

सरकार द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़—बनाम—बख्तराम मध्यान

आदेश

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
01	02	03

यह वाद विद्वान उपायुक्त पाकुड़ के न्यायालय आर0एम0पी0 वाद सं0—57 / 2002 में दिनांक—30.12.2011 को पारित आदेश द्वारा इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है।

प्रश्नगत वाद पाकुड़ अंचल के मौजा—खपड़ाजोला, जमाबन्दी सं0—40 / 32 के दाग सं0—343 एवं 344 अंतर्गत रकवा—05.31 ऐकड़ भूमि का विपक्षी बख्तराम मध्यान, पाकुड़ के नाम अवैध रूप से राजस्व पंजी—II में सृजित जमाबंदी के विलोपन से संबंधित है। तत्कालीन विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के द्वारा स्था0 रा0 वि0 वाद सं0—96 / 98—99 में दिनांक—24.11.2000 को पारित आदेश द्वारा प्रश्नगत जमाबंदी को विलोपित करने की अनुशंसा की गई है।

संबंधित पक्षकार को अपने दावे के समर्थन में अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। नोटिस प्राप्ति के पश्चात् विपक्षी / उत्तराधिकारी उपस्थित तो हुए परन्तु उनके द्वारा अपने दावे के समर्थन में किसी प्रकार का कोई भी कागजात / दस्तावेज दाखिल नहीं किया गया। अंतिम नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। यह वाद लम्बे समय से विचाराधीन है और विपक्षी द्वारा आज तक ना तो कारणपृच्छा दाखिल किया गया है और ना ही दावे के समर्थन में कोई कागजात / दस्तावेज दाखिल किया गया है। अभिलेख में उपलब्ध निबंधित खनन पट्टा दस्तावेज के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रश्नगत दाग की भूमि पर पत्थर खनन हेतु खनन पट्टा 10 वर्षो के लिए दिया गया था। लीज की अवधि वर्षो पूर्व पूर्ण हो चुकी है।

सम्पूर्ण अभिलेख का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। प्रश्नगत भूमि अनाबादी खाते की सरकारी भूमि है। प्रश्नगत भूमि पर विपक्षी को खनन पट्टा दिया गया था जिसकी अवधि पूर्ण हो चुकी है। खनन पट्टा के आधार पर राजस्व पंजी—।। में सृजित जमाबन्दी बिल्कुल अवैद्य है। जिसका सरकार के हित में विलोपन किया जाना आवश्यक है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर विपक्षी बख्तराम मध्यान, पाकुड़ के नाम से राजस्व पंजी—II में सृजित जमाबंदी को विलोपित करने का आदेश दिया जाता है।

अंचल अधिकारी, पाकुड़ को आदेश दिया जाता है कि एक सप्ताह के अन्दर प्रश्नगत अवैध जमाबंदी को विलोपित करते हुए उसे सरकारी कब्जे में ले लेगें एवं तद्संबंधी प्रतिवेदन न्यायालय को समर्पित करेंगें। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

Digitally signed by JEMES SURIN
Date: 2025.03.07 14:24:59 +05:30
Location: 192.168.0.116

लेखापित संशोधित

D31.03.125

अपर समाहर्त्ता,
पाकुड़।

D31.03.125

अपर समाहर्त्ता,
पाकुड़।